



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



14 ज्येष्ठ, 1946 (श०)

संख्या - 352 राँची, मंगलवार,

4 जून, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

5 मार्च, 2024

1) संख्या-04/स्था०पद०-02-02/2022 का. 1752--अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ (अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद उत्क्रमित) के पद पर पदस्थापित श्री हरिवंश पंडित, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-5/20, गृह जिला गिरिडीह) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2) संख्या-04/ स्था०पद०-02-02/2022 का. 1753--अवर सचिव, स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची (अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद उत्क्रमित) के पद पर पदस्थापित श्री प्रवीण केरकेट्टा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 127 / 20, गृह जिला- पू० सिंहभूम) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी पाकुड़ के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री केरकेट्टा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पाकुड़ अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

3) संख्या- 04/स्थापद0-02-02/2022 का. 1754--अवर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित **श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 161/20, गृह जिला गुमला), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप परीक्षा नियंत्रक झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4) संख्या- 04/स्थापद0-02-02/ 2022 का. 1755--जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित **श्रीमती शुभा रानी**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-252/20, गृह जिला बोकारो), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी चांडिल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती रानी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत चांडिल अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के अपर सचिव।
